

**लोक सूचना अपीलिय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़****पीठासीन अधिकारी - अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या 062/2022 (GCMS 2022/314)	दायर दिनांक 12.09.2022	निर्णय दिनांक 28.09.2022
--	---------------------------	-----------------------------

**अनवान**

खेमसिंह जोधा निवासी ग्राम/पोस्ट शिकारपुरा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर

**अपीलांट****बनाम**

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), जिला चित्तौड़गढ़

**रेस्पोंडेंट****प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005****-:: निर्णय ::-**

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), जिला चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 20.07.2022 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./062/2022(सू.अ.)(28.09.2022)/728 दिनांक 12.09.2022 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), जिला चित्तौड़गढ़ को दिनांक 28.09.2022 से पूर्व कमेंट्स/टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक से नियत दिनांक 28.09.2022 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने पर भी अपीलार्थी नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), जिला चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र क्रमांक: एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/827 दिनांक 20.09.2022 से कमेन्ट्स प्रेषित किए जो इस प्रकार है-



1. यह कि प्रार्थी श्री खेमसिंह जोधा निवासी ग्राम/पोस्ट-शिकारपुरा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर (राज.) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 20.07.2022 को आवेदन प्रस्तुत किया, जो इस कार्यालय में दिनांक 27.07.2022 को प्राप्त होना सही हैं।
2. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र से वांछित सूचना प्रभारी अधिकारी, पूल अनुभाग, जिला कार्यालय, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/पूल/प-1(10)/लोक सूचना/2022-23/973 दिनांक 29.08.2022 से प्राप्त कर इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/302 दिनांक 02.09.2022 से प्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक निःशुल्क भिजवायी जा चुकी हैं।
3. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना प्रार्थी को उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त वर्तमान में इस प्रकरण पर इस कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती हैं। अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर अपील निरस्त करने की कृपा करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील, अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्र क्रमांक: एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/827 दिनांक 20.09.2022 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन-मनन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के आवेदन द्वारा वांछित सूचना नियमानुसार तैयार कर अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/302 दिनांक 02.09.2022 से अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करवा दी गयी हैं। साथ ही रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सूचित किये जाने पर भी अपीलार्थी कार्यालय में उपस्थित नहीं आए, जिसके कारण अपीलार्थी की ओर से कोई भी जवाब/खण्डन पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित जवाब/कमेंट्स को स्वीकार करते हुए अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती हैं।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), जिला चित्तौड़गढ़ एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **28.09.2022** को लिखाया जाकर सुनाया गया।



-SD-

(अरविन्द कुमार पोसवाल)(I.A.S.)  
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,  
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)  
28.09.2022